


3-12-21 वकील पार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र विद्रुा करने
बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर प्रभावली
तलब की गयी प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र अनुसार
उक्त प्रकरण में राप्तीनामा होने से कोई
कार्यवाही नहीं-चाही जा रही है

अदरप

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का
अवलोकन किया एवं उपास्थित को सुना।
चूंकि उक्त प्रकरण में राप्तीनामा होने से
कोई कार्यवाही नहीं-चाही जा रही है अतः
पार्थी का प्रार्थना- पत्र खारिज किया जाता
है प्रभावली फेंसल सुमार लेकर नम्बर
से कम हो।




उपाखण्ड अधिकारी
रूपनागढ़ (अजमेर)